उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//विज्ञप्ति//

क्रमांक : 469 /परीक्षा/2020 जबलपुर, दिनाँक– 11/02/2020

उच्च न्यायालय में असिस्टेंट लायब्रेरियन के नियमित रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति वर्ष–2020

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि :	10/03/2020 (12.00 PM)
आवेदन करने की अंतिम तिथि :	03/04/2020 (11.59 PM)
आवेदन में त्रुटि सुधार प्रारंभ होने की तिथि:	07/04/2020 (12.00 PM)
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि:	10/04/2020 (11.59 PM)
ऑनलाईन मुख्य परीक्षा की तिथि :	28/04/2020 (मंगलवार)
साक्षात्कार का दिनांक:	बाद में अधिसूचित किया जावेगा।

उपरोक्त रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड "अ"

(एक)–नियमित पद की अनुमानित संख्या :–

पदनाम	अनारक्षित	अ0पि0व0	अनु0जाति	अनु0 जनजाति	कुल योग
असिस्टेंट लायब्रेरियन	–	–	01	–	01

(दो)–पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हतायें:–

पदनाम एवं वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता
असिस्टेंट लायब्रेरियन 5200–20200 + ग्रेड पे 2800 (7 वें वेतनमान में लेवल 7 पे मेट्रीक्स 28700–91300)	1. He/she must be Post Graduate Degree in Library & Information Science from any recognize University. 2. PGDCA from any recognize institution/University. 3. Familiar with Library automation software. 4. Degree of Law (Desirable). 5. Graduate with Bachelor's degree in Library Science preference may be given to Law Graduate. 6. Knowledge of Computer Application.

(तीन)–संबंधित पद हेतु टीप :–

उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हतायें (कम्प्यूटर अर्हता सहित) ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(चार)–आयु की गणना :–

दिनांक 01.01.2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :–

1	पुरूष आवेदक (अनुसूचित जाति)	40 वर्ष
2	महिला आवेदक (अनुसूचित जाति)	40+10 = 50 वर्ष
3	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (अनुसूचित जाति)	40+10+5 = 55 वर्ष

(पाँच)–आरक्षण संबंधी टीपः–

(1) केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं, वे आवेदन पत्र में तद्नुसार अपनी श्रेणी अंकित करें।

(छैः)–नियुक्ति संबंधी टीपः–

(अ) चयनित आवेदक की नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी, जो कि नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।

(ब) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

(सात)–चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अहर्ता एवं जानकारी :–

(1) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो–

(क) उम्मीदवार जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नियां (जैसी भी स्थिति हो) है। इसी प्रकार उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित हो।

(ख) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।

(ग) जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।

(घ) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।)

(3) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके अभाव में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी। यदि अपने नियोजित होने के संबंध में जानकारी छिपायी जाती है तो उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जावेगी तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

(4) केन्द्र या राज्य सरकार के या केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारी या भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी निगम द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले नियंत्रित व्यक्ति द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा।

(5) अभ्यर्थी किसी भी पद हेतु किसी भी स्थापना में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा यदि उसके विरूद्ध किसी कार्यालय में विभागीय जाँच लंबित हो।

(6) सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्राविधिक है। अभ्यर्थी को सभी परीक्षाओं में मूल फोटो परिचय–पत्र भी लाना आवश्यक है। अंतिम शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा जारी फोटो परिचय–पत्र भी मान्य किया जा सकेगा।

(7) पद की संख्या में वृद्धि हो सकती हैं।

(8) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को है।

(9) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(10) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता से संबंधित कोई भी दस्तावेज (उत्तीर्ण होने का) संलग्न नहीं करता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(11) ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई समस्त त्रुटियों के सुधार हेतु ऑनलाईन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् 03 दिन का समय प्रदान किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाईन फार्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि की है वे उक्त त्रुटि का सुधार कर सकते है, तिथि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी तरह का कोई त्रुटि सुधार कार्य नहीं किया जावेगा तथा उपरोक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि श्रेणी/जन्मतिथि/विकलांगता/लिंग एवं आपराधिक प्रकरण के संबंध में की गई त्रुटि का सुधार कार्य नहीं किये जाने पर तथा संज्ञान में आने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।

(12) आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ–7–13/2004/आ.–प्र./एक भोपाल, दिनांक 11.07.2005 में दिये गये निर्देशों के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें।

(13) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हों तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक व दिनांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में दाण्डिक प्रकरण की जानकारी छिपाता है तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा।

(आठ)–अनर्हताएँ –

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :–

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये मुख्य परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
2. प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो, या
3. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
4. चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
5. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

6. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

7. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

8. आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो।

9. यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी योग्यता, जन्मतिथि, लिंग, अर्हता अथवा श्रेणी से सम्बन्धित या अन्य कोई जानकारी जो परीक्षा या चयन प्रकिया के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन या आवेदन पत्र या दस्तावेज में चाही गयी है, से सम्बन्धित गलत जानकारी दिया है, तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा।

खण्ड "ब"

(एक)–पोर्टल शुल्क–

ऑनलाईन मुख्य परीक्षा में आवेदन करने हेतु अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदकों के लिए केवल सेवा प्रदाता का शुल्क ₹ 395.30/–देय होगा।

(दो)–ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :–

1. आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

आवेदन पत्र म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाईट में जाकर "Recruitment/Result" की बटन में क्लिक करना होगा, जिसमें उक्त पद की भर्ती का ऑनलाईन आवेदन उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करने पर 04 लिंक खुलेंगी, जो कि निम्नानुसार हैः–

1. Advertisement
2. Registrartion
3. Application
4. Edit Application

Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, तत्पश्चात् Registration लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर एवं ई0–मेल आई0डी0 में User-ID & Password भेजा जायेगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी Application लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। पूरे फार्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।

2. उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट, प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। उक्त प्रिंट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिये अपने पास सुरक्षित रखें।

नोट :– कृपया विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर **(022–61306271)** पर तत्काल सम्पर्क करें ।

खण्ड–''स''

परीक्षा की योजना :–यह परीक्षा दो चरणों में होगी :–

1. **मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) (150 अंक)**
2. **साक्षात्कार (20 अंक)**

एकः– मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) का दिनांक/समय/सत्र व केन्द्र –

1. ऑनलाईन मुख्य परीक्षा दिनाँक–28.04.2020 (मंगलवार) को जबलपुर में स्थित परीक्षा केन्द्र में आयोजित की जावेगी। परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए अन्य दिनांकों में भी भिन्न–भिन्न सत्रों मे आयोजित कराई जा सकेगी, तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से किसी एक या अधिक केन्द्र/केन्द्रों पर परीक्षा सम्पन्न न होने पर उन केन्द्र/केन्द्रों की परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा उन केन्द्र/केन्द्रों के सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा पुनः ली जा सकेगी और उनके प्रश्न–पत्र भी भिन्न होंगे। ऐसी परिस्थितियों मे किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र व जिले तथा परीक्षा सत्र (Shift) के बारे में अंतिम निर्णय सेवा प्रदाता का परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए होगा तथा इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

2. यदि किसी अपरिहार्य कारणों से परीक्षा दिनांक/परीक्षा केन्द्र/स्थान/परीक्षा सत्र (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में माननीय चैयरमैन, एक्जामिनेशन–कम–सिलेक्शन एवं अपॉइन्मेंट कमेटी के अनुमोदन से उक्त परिवर्तन किया जा सकेगा।

नोटः कोई भी आवेदक जो इस विज्ञापन के तहत आवेदन करता है तो यह माना जावेगा कि उसे विज्ञापन की सभी शर्ते मान्य है एवं उसे किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है।

(दो)–प्रवेश पत्र :– ऑनलाईन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु प्रवेश–पत्र सेवा प्रदाता (Service Provider) के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in में जारी किये जावेंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि दर्ज करना होगा। प्रिंटआउट की सुविधा परीक्षा तिथि के लगभग 10 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

तीन– मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम : –

Online Main Exam for the post of	Subject	Marks
Assistant Librarian	Library and Information Science	100
	General English	25
	Computer knowledge	25
	Total	150

चारः – मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) प्रक्रिया :–

(1) मुख्य परीक्षा हेतु 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर/विकल्प होंगे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेगा अर्थात् किसी प्रश्न को हल न कर सकने की स्थिति में आगे बढ़ सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पिछले पृष्ठ पर वापस जा सकेगा इस परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र हल करने की समय–सीमा 120 मिनट यानि 2 घण्टे की होगी।

(2) **Mock Test (मॉक टेस्ट)**– आवेदकों के लिये ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर Mock Test (मॉक टेस्ट) परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(3) आवेदक को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ एक फोटो पहचान पत्र (ओरिजनल) लाना होगा और उसके पहचान के सत्यापन के बाद ही परीक्षा केन्द्र/कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। फोटो पहचान पत्र की फोटोकापी, स्कैन कापी आदि मान्य नहीं होगी।

(4) प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक–एक कम्प्यूटर दिया जायेगा। परीक्षा शुरू करने के पहले आवेदक को यूजर आई.डी. के स्थान पर अपना एप्लिकेशन नंबर एवं पासवर्ड के स्थान पर जन्मतिथि डालनी होगी।

(5) इसके पश्चात् आवेदक को स्क्रीन पर एक प्रश्न और उसके चार संभावित उत्तर/विकल्प दिखेंगे। आवेदक इन चारों में से किसी एक विकल्प को चुनकर अपना सही उत्तर सेव (Save) कर सकता है।

(6) ऑनलाइन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो/विवरण दिखेगा, जिससे भी उसकी पहचान की जांच व पुष्टि वीक्षक द्वारा की जा सकेगी।

(7) ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत विवरण म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी दिया जावेगा।

पांचः – आवश्यक सूचना :–

(1) आवेदक को अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में यदि परीक्षा उसी दिन या अन्य दिन द्वितीय सत्र मे होती है तो भी परीक्षा देने की अनुमति नही दी जावेगी ।

(3) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ डिवाईस, केलकुलेटर, मोबाईल, लिस्निंग डिवाईस, रिकार्डिंग डिवाईस, अलार्म वॉच, इलेक्ट्रानिक गैजेट इत्यादि ले जाना प्रतिबंधित है। आवेदक अपने साथ सिर्फ प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र, पेन एवं पेन्सिल ले जा सकेगा।

(4) परीक्षार्थी परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सम्पूर्ण परीक्षा C.C.T.V. कैमरे की निगरानी में होगी एवं रिकार्डिंग की जावेगी।

(5) परीक्षार्थियों का बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन परीक्षा केन्द्र पर किया जावेगा।

छैः – अनुचित साधनः–

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (Unfair Means) के अंतर्गत माना जावेगा तथा उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से विवर्जित कर दिया जाएगा :–

(1) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क/नकल करना।

(2) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(3) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(4) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना, तांकझाक करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।

(5) परीक्षा कार्य में संलग्न समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(6) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारी/अधिकारी को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुंचाना, परीक्षा कक्ष/भवन के किसी भी वस्तु, संपत्ति, यंत्र, कम्प्यूटर आदि को किसी तरह क्षति पहुँचाना।

सातः – मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) का मूल्यांकन एवं परिणाम :–

(1) **मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन) का मूल्यांकन कम्प्यूटर आधारित होगा, जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन (माईनस मार्किंग) भी किया जावेगा, प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक मूल अंकों से काटे जावेगें।** मुख्य परीक्षा के पश्चात् मेरिट के आधार पर लगभग 1:3 के अनुपात में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेगें। समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करते हुए उन्हें साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मुख्य परीक्षा में अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

(2) प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनका परीक्षाफल तैयार किये जाने हेतु प्रयोग किया जाना आशयित है, उसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर मुख्य परीक्षा पश्चात् इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जावेगा कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित आदर्श उत्तरों के संबंध में आपत्ति/स्पष्टीकरण देना चाहता है, तो वह आवश्यक रूप से उक्त सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के अंदर लिखित रूप से प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) के समक्ष कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अन्य माध्यमों से अपने नाम, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक आदि के विवरण एवं स्त्रोत/दस्तावेज इत्यादि जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी ने आपत्ति/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करेगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जायेगा, जिसके आधार पर सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उसे नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

आठः साक्षात्कारः–

मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र व दस्तावेजों के परीक्षण पश्चात् परीक्षा सेल द्वारा पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर उच्च न्यायालय की वेबसाईट में प्रदर्शित की जावेगी तथा एक तिथि निर्धारित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया जावेगा जो कि 20 अंकों का होगा।

नौः –अंतिम परिणाम :–

अंतिम परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों (साक्षात्कार में प्राप्त अंकों सहित) मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा। अंतिम चयन सूची उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी एवं ऑनलाईन मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक उच्च न्यायालय की वेबसाईट में प्रदर्शित किये जावेंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व जन्मतिथि दर्ज कराना होगी।

टीपः– 1. मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये **न्यूनतम अंक** के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे ।

2. परीक्षा के किसी भी स्तर पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस संबंध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

शुद्धिपत्रः–

उक्त रिक्त पद की भर्ती प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन में यदि किसी प्रकार स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उक्त संशोधन शुद्धिपत्र के माध्यम से उच्च न्यायालय

की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाईट पर प्रकाशित शुद्धिपत्र को अभ्यर्थियों के लिये उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। शुद्धिपत्र की जानकारी प्राप्त नहीं होने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जावेगा।

यात्रा व्यय का भुगतान–

परीक्षा हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क न लेते हुए सिर्फ सेवा प्रदाता द्वारा पोर्टल शुल्क लिया जा रहा है, इस कारण मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी–

सूचना के अधिकार के तहत ऑनलाईन परीक्षा की उत्तरपुस्तिका (कैंडिडेट रिस्पांस) की जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करके अंतिम चयन सूची जारी होने के पश्चात् से 03 माह तक ऑनलाईन प्राप्त कर सकता हैं।

विनिष्टीकरणः–

परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर–पुस्तिकाओं/आन्सर शीट्स आवेदन–पत्रो (अंतिम रूप से चयनित व प्रतीक्षारत् अभ्यर्थियों के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

रजिस्ट्रार जनरल

****